कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक/स्था/2026/ 11 दिनांक- 03/01/2026

Telephone No-01478-221584 E-mail-cjm-pra-rj@hcraj.nic.in

कार्यालय आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ़ के पत्र क्रमांक-स्था/19/3632 दिनांक-15/11/2019 तथा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/स्था/21/723 दिनांक-25/11/2021 के क्रम में माह **जनवरी-2026** के राजकीय अवकाशों के दिनों में प्रतापगढ़ न्याय-क्षैत्र(संपूर्ण प्रतापगढ़ जिले)के रिमाण्ड,बेल एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य हेतु निम्नानुसार मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है:-

जनवरी-2026

क्र.सं.	दिनांक	अवकाश	न्यायिक मजिस्ट्रेट
1	04/01/2026	रविवार	**श्री अंकित सिंघल, (RJS) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ(राज.)**
2	10/01/2026 11/01/2026	द्वितीय शनिवार रविवार	**श्री मोहित व्यास, (RJS) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरनोद (राज.)**
3	18/01/2026	रविवार	**श्री सरफराज नवाज,(RJS) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धरियावद(राज.)**
4	24/01/2026 25/01/2026 26/01/2026	चतुर्थ शनिवार रविवार गणतन्त्र दिवस	**सुश्री वर्षा सिंह, (RJS) अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ (राज.)**

नोट 01. उक्त अवकाश के दिनों में अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट (रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट समय-11.00AM से-01.00PM तक-02 घण्टे अपने न्यायालय में बैठकर कार्य संपादित करेंगे। साथ ही उक्त-02 घण्टे के दौरान संबंधित न्यायालय के रीडर, स्टेनो,फौजदारी लिपिक व एक सहायक कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिये पाबंद किया जाता है।

02. रिमाण्ड ड्यूटी दिवस के पूर्व अथवा पश्चात में अवकाश घोषित होने पर संबंधित रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ही घोषित अवकाश दिवस को भी रिमाण्ड ड्यूटी की जावेगी।

03 उपरोक्त राजपत्रित अवकाशों में यदि प्रतापगढ मुख्यालय पर प्रोटोकॉल कार्यक्रम आने पर संबंधित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रतापगढ मुख्यालय पर उपस्थित होकर प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में सम्पूर्ण व्यवस्था का सुचारू संपादन सुनिश्चित करेगें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापग(राज.)

क्रमांक/स्था/2026/12 TO 25 दिनांक-03/01/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ़ (राज.)

2- श्री अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ /अरनोद/छोटीसादड़ी/धरियावद, जिला प्रतापगढ़

3- श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

4- श्री अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ (राज.)

5- श्री न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, प्रतापगढ़ (राज.)

6- श्री पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ (राज.) को प्रेषित कर लेख है, कि वे अपने अधीनस्थ समस्त थाना अधिकारियों को सूचित करावें,कि वे प्रत्येक अवकाश की दिनांक को-11.00AM से-1.00 PM के दौरान ही संबंधित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके न्यायालय में ही अभियुक्त को रिमाण्ड इत्यादि के लिये पेश किया जाना सुनिश्चित करें।

7- अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, प्रतापगढ़/अरनोद/छोटीसादड़ी/धरियावद

8- आदेश पत्रावली, कार्यालय हाजा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापग(राज.)